12

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2011 जिला–गुना R-164-II/2011

(1) बृजेश सिंह रघुवंशी

(2) रविन्द्र सिंह रघुवंशी पुत्रगण रामसिंह रघुवंशी, निवासीगण– ग्राम कूंदोल तहसील व जिला गुना (म.प्र.)

..... आवेदकगण

विरूद्ध

(1) मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर गुना

(2) किशना पुत्र नथुआ चमार

(3) रमेश पुत्र हल्का मेहतर

(4) शारदाबाई पुत्री प्रभुलाल

(5) श्रीमती राजबाई पत्नी नन्नूलाल

(6) कैलाशनारायण पुत्र पन्नालाल

निवासीगण– ग्राम कूंदोल तहसील व जिला गुना (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

न्यायालय अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा प्रकरण क्रमांक 98/2010–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 30.12.2010 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, ग्राम कूंदोल तहसील गुना पटवारी हल्का नं. 62 के सर्वे नं. 121/5 का बंटन विधिवत् रूप से तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 93/अ–19/78–79 में पारित आदेश दिनांक 12.05.1979 से श्रीमती रामोबाई पत्नी गंगाराम सेन के हित में किया गया था।

2– यहकि, भूमि स्वामी श्रीमती रामोबाई पत्नी गंगाराम सेन द्वारा उक्त विवादित भूमि का पंजीकृत विक्रय–पत्र श्रीमती भगवतीबाई पत्नी रामसिंह रघुवंशी के हित में सम्पादित कर भूमि का कब्जा दिया गया था। तत्पश्चात् उक्त भूमि पर क्रेता का नामान्तरण किया गया था।

3– यहकि, श्रीमती भगवतीबाई पत्नी रामसिंह रघुवंशी का देहान्त होने के पश्चात् उक्त विवादित भूमि पर उनके पुत्रों का विधिवत् रूप से नामान्तरण पंजी क्रमांक 143 दिनांक 02.01.1993 के आदेश

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग/164/दो/2011/ जिला-गुना

बृजेश विरूद्ध म0प्र0शासन

	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11/4/-2018	प्रकरण में आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के0के0 द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक क्रमांक 1 शासन की ओर से अधिवक्ता श्री अजय चतुर्वेदी उपस्थित। अनावेदक 2 व 3 के अधिवक्ता श्री एस0एल0 धाकड़ उपस्थित। 2- यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण क्रमांक 98/निगरानी/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30.12.2010 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में धारा 5 अवधिविधान के संबंध में निर्णय पारित किया गया है। इस प्रकरण में भी विचारक्षेत्र धारा 5 तक ही सीमित रहेगा। 3- प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। उनके द्वारा अपने तर्क में मुख्यत: वही तथ्य दुहराए जो निगरानी मेमो में अंकित हैं जिन्हें यहां दुहराया जाकर लेखबद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। किन्तु उन पर विचार किया गया है। निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है। 4- अनावेदक 1 शासन के अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि निगरानी अपर आयुक्त के समक्ष 17 वर्ष जैसी लम्बी अवधि के बिलंब से प्रस्तुत की गयी है अपर आयुक्त का आदेश विधि अनुकूल होने से स्थिर रखे जाने योग्य है निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया। इसी प्रकार अनावेदक क्रमांक 2 व 3 के अधिवक्ता द्वारा भी अधिलेख के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित करने का अनुरोध किया गया। 5- विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के अनुक्रम में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उस पर विचार किया गया। निगरानी में अंकित विन्दुओं तथा तर्क के दौरान उठाए गये तथ्यों के संबंध में प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.12.2010 का भी परीक्षण किया गया। परीक्षण करने पर पाया गया कि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में	

प्रकरण क्रमांक निग/164/दो/2011/ जिला-गुना

बृजेश विरूद्ध म0प्र0शासन

उपस्थित अभिलेख के अनुक्रम में प्रश्नाधीन आदेश में सारगर्भित एवं तथ्यात्मक विष्लेषण किया जाकर स्पष्ट एवं बोलता हुआ आदेश पारित किया गया है। चूंकि अधीनस्थ अपर आयुक्त द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में विस्तृत एवं तथ्यात्मक विष्लेषण अंकित किया गया है जिसे यहां पुनरांकित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उस पर विचार किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश में 17 वर्ष जैसी लम्बी अवधि को माफ न करने के संबंध में की गयी तथ्यात्मक एवं विस्तृत व्याख्या इस आदेश का अंग होगी। उपरोक्त परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय के प्रश्नाधीन आदेश दिनांक 30.12.2010 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं होने से हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 30.12.2010 स्थिर रखा जाता है। निगरानी अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश प्रति के साथ वापस किया जावे। प्रकरण दा.रि.हो।

(डॉ0एम0के0अग्रवाल)
सदस्य